पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 313/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.10.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 08.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- कोतवाली: पशु चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार; पूर्व में 02 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक- 21.09.2024 को वादिनी रीना पत्नी बाबूलाल सा0 मु0 गुलामी का पुरा , तहसील सदर थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी जानवर (सुअर) पालने का कार्य करती है। दि0-17-9-24 को प्रति दिन की भांति जानवर को चरने के लिये छोड़ी थी जो शाम तक घर नहीं आयी तो प्रार्थिनी खोज बीन शुरू की लेकिन कहीं नहीं मिली तब प्रार्थिनी अगल बगल के दुकान व घरो पर लगे सी सी टी वी कैमरे को देखना शुरू किया तो पता चला कि रवि सोनकर पुत्र कैलाश सनोकर व शिवम सोनकर पुत्र हरिलाल सोनकर सा0 गुलामी का पुरा मेरे जानवर को हांक कर ले जा रहे थे चार जानवर जिनकी कीमत मु0 डेढ़ लाख रूपया है, को चुरा ले गये और तबसे लापता है। वादिनी उपरोक्त वीडियों कैलाश सोनकर व हरिलाल को दिखाया तो लोग मानने को तैयार नहीं है वल्कि गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी, इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 523/24 धारा 303(2), 317(2) BNS दि. 21.9.24 को पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित है।

➡ दिनांक 21.09.24 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. रवि सोनकर पुत्र कैलाश सोनकर निवासी गुलामी का पूरा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष, 2. शिवम सोनकर पुत्र हरिलाल सोनकर निवासी गुलामी का पूरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को 05 हजार रूपयें नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त विजय सोनकर पुत्र स्व0 जियायलाल सोनकर निवासी गुलामी का पूरा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष फरार चल रहा था जिसके क्रम में-

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 07.10.24 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह द्वारा बमबम बाबा की कुटिया गुलामी के पूरा से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विजय सोनकर पुत्र स्व0 जियायलाल सोनकर निवासी गुलामी का पूरा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को समय 15.20 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा कब्जे से चोरी के सुअर के बिक्री से प्राप्त 520 रूपये बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

02. थाना जीयनपुरः किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 07.10.2024 को वादिनी मुकदमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 3/10/2024 को समय करीब 4 वजे शाम को एक बाल अपचारी थाना जीयनपुर आजमगढ द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया है, के सम्बन्ध में मु0अ0स0 461/2024 धारा 137(2) BNS पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 नीलमणि सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/64(1) BNS व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। विवेचना के क्रम मे।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण– आज दिनांक 08.10.2024 उ0नि0 नीलमणि सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक बाल अपचारी को रजादेपुर चौराहे के पास से समय करीब 11.00 पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया।

03. थाना- तहबरपुरः चोरी गये जेवरात के साथ अभियुक्ता (वादिनी) गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 05.10.24 को वादिनी मुकदमा श्रीमती मन्नी निषाद पत्नी चन्द्रिका निषाद सा0 कोठिहार थाना तहबरपुर ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादिनी के सास के कमरे से गेना निषाद पत्नी राम टहल निषाद के कमरे का ताला तोड़कर बक्से मे रखा चाँदी की हसुली व चाँदी की चैन तथा 10 हजार रूपये चुरा ले गये है, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 211/2024 धारा 305,331(4), भा0न्या0सं0 बनाम 1. अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया। विवेचना से धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी तथा मुकदमा उपरोक्त की वादिनी मन्नी निषाद उपरोक्त ही अभियुक्ता है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 08.10.2024 को उ0नि0 सन्तोष कुमार राय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आयी वादिनी/अभियुक्ता मन्नी निषाद पत्नी चन्द्रिका निषाद निवासी ग्राम कोठिहार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को रैसिंहपुर तिराहे से समय 11.10 बजे पकड़ लिया गया। महिला आरक्षी द्वारा उक्त अभियुक्ता के झोले की तलाशी से एक अदद हसुली (सफेद धातु) स्त्री गहना एवम् 5 सौ के 10 अदद नोट कुल 5000/- रूपया नकद बरामद किया गया।। तत्पश्चात अभियोग उपरोक्त में चोरी गयी गहना व रूपया की बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) भा0न्या0सं0 की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्त उपरोक्त समय 12.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पूछताछ का विवरण– गिरफ्तार अभियुक्ता ने बताया कि यह हसुली व रूपया मेरे सास श्रीमती गेना देवी पत्नी स्व0 टहल निषाद का है, साहब मै गांव में रहती थी तथा मेरी विधवा सास सड़क के किनारे जहा हम लोगो को प्रधानमंत्री आवास मिला था उसी में रहती थी तथा उनके साथ मेरी देवरान रहती थी परन्तु हमने नवरात्रि के पूर्व कलश रखने का बहाना बनाकर देवरानी को पुराने मकान गांव में भेजकर उस मकान में कलश स्थापित करने के बहाने गयी थी और कलश स्थापित कर वही रहने लगी और मौके की ताक में थी कि जैसे ही मौका मिला हमने अपने सास के बक्से का ताला तोड़कर रात में गहना व रूपया 5000/- चुरा लिया था।

04. थाना- मेंहनगरः अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है दिनांक 5/10/2024 को आरोपी शुभम पाण्डेय पुत्र रामप्यारे पाण्डेय निवासी फिनीहिनी थाना मेहनगर आजमगढ़ द्वारा ग्राम कुढ़ापार में मारपीट व झगड़ा किया गया जहा पर अपने आप को घिरा देकर आरोपी द्वारा अवैध असलहा झाड़ियों में छिपा दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 405/24 धारा 3(5) 115(2) 352 351(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 08.10.2024 को उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित शुभम पाण्डेय पुत्र रामप्यारे पाण्डेय निवासी फिनीहिनी थाना मेहनगर आजमगढ़ को कुढापार झऊवाँ मोड़ के पास सडक के पास से घेर कर पकड लिया गया। पकड़े गये अभियुक्त ने बताया कि दि0 5.10.24 को रात्रि नौ बजे ग्राम कुढापार मे महेन्द्र सिंह से झगडा के समय पिस्टल दिखाने तथा अपने को गाँव वालो से घिरा समझकर पिस्टल किसी झाडी मे फेंक दिया गया था, अभियुक्त के निशान देही पर एक अदद पिस्टल 09mm मय चार अदद 09mm बरामद किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को समय 09.15 बजे कूढ़ापार झउँवा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 410/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम शुभम पाण्डेय पुत्र रामप्यारे पाण्डेय नि0 ग्राम फिनीहिनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 405/24 धारा 3(5) /115(2)/352/351(2) BNS थाना मेंहनगर आजमगढ़
2. मु0अ0स0 410/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

05. थाना बिलरियागंजः अम्बेडकर जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त व सोलर स्ट्रीट लाइट व बैट्री चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 07.10.2024 को वादी विपिन पुत्र शंकर विश्वकर्मा ग्रामसभा तोहफापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 06-10-2024 को समय लगभग 9 से 10 बजे के बीच रात्रि में ग्रामसभा की जमीन पर स्थापित डा0 भीम राव अम्बेडर जी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करके मन्दिर के ऊपर रखी बैटरी, तार, लाईट एवं अन्य सामान को चुरा ले गये है, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 351/2024 धारा 303(2)/298 भारतीय न्याय संहिता बनाम विपिन पुत्र शंकर विश्वकर्मा तोहफापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। जिसमे दिनांक 07.10.2024 को अभियुक्त विपिन उपरोक्त को चोरी के समान के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 07.10.2024 को उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विपिन विश्वकर्मा पुत्र रामशंकर विश्वकर्मा निवासी तोहफापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को चोरी के सामान 01 अदद सोलर स्ट्रीट लाइट व 01 अदद बैट्री के साथ बिन्दवल बाजार से समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

06. थाना जहानागंज: हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 12.11.2021 को वादी मुकदमा को विजय सिंह उर्फ झब्बर सिंह पुत्र स्व0 परशुराम सिंह ग्राम बड़ौरा बुजुर्ग थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि दिनांक 11.12.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा दशरथ सिंह के विवाद को लेकर वादी तथा वादी के पट्टीदार अजीत सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह व भरत सिंह एक राय होकर गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 242/21 धारा 147,323,504,506 आईपीसी बनाम 1. राकेश सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह 2. दिनेश सिंह पुत्र श्यामनायन सिंह 3. अजीत सिंह पुत्र राकेश सिंह 4. मिथिलेश सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह 5 लल्लू उर्फ रूपेश सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासीगण बड़ौरा बुजुर्ग थाना जहानागंज आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 अभिषेक सिंह द्वारा किया जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त में मजरुब के मेडिकल व एफएसएल रिपोर्ट में हाथ में छर्रे पाये जाने पर दिनांक 10.04.2024 को धारा 307 भादवि की बढोत्तरी कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही थी जिसके क्रम में -

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 08.10.24 को उ0नि0 उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी बडौरा बुजुर्ग निवासी जहानागंज आजमगढ उम्र करीब 55 वर्ष को किशुनपुर मोड़ के पास से समय करीब 10.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

07.थाना जहानागंजः शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व गर्भपात कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 04.10.24 को थाना जहानागंज क्षेत्रान्तर्गत एक वादिनी नें थाना उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 04.08.24 को 9.00 बजे रात्रि को आरोपी दिनेश चौहान पुत्र मोहन चौहान निवासी इदीलपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ दुष्कर्म किया गया तथा वादिनी के द्वारा शादी के लिये कहने पर अभियुक्त दिनेश व उसके परिजन के द्वारा मिलकर मारपीट की गयी व जान से मारने की धमकी दी गयी तथा गर्भवती हो जाने पर दवा पिला दिया गया जिससे गर्भपात हो गया है, के सम्बन्ध में दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 528/24 धारा 89/69/115/351(2)/3(5) BNS बनाम 1. दिनेश चौहान पुत्र मोहन चौहान 2.मोहन पुत्र अज्ञात आदि 06 नफर निवासीगण इदीलपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 08.10.24 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश चौहान पुत्र मोहन चौहान निवासी इदिलपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को बजहां प्राइमरी स्कूल के पास से समय करीब 09.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

08. थाना रौनापार अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक- 07.10.2024 को उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह द्वारा थाना रौनापार क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग के दौरान बघावर गौशाला मोड़ से समय करीब 23.45 बजे अभियुक्त निखिल मिश्रा पुत्र गोपाल मिश्रा नि0 ग्राम बेलकुण्डा थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 389/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम अभियुक्त निखिल उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 118/2019 धारा 380/511 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 553/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 293/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

4. मु0अ0सं0 389/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।